प्रेस नोट **02.03.2023**

साइबर फ्राड के शिकार 02 पीडितों के कुल 75 हजार रूपये साइबर क्राइम टीम ने कराया वापस–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में साइबर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल मऊ टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये साइबर अपराध के शिकार दो पीड़ितों रामदरश राम निवासी भीटी थाना कोतवाली और श्रवण कुमार सोनकर निवासी मठिया टोला थाना कोतवाली की फ्राड धनराशि रूपये क्रमशः 50 हजार व 25 हजार कुल 75000 रूपये अथक परिश्रम कर उनके बैंक खाते में वापस कराया गया। आवेदक के द्वारा उच्चधिकारिगणों व साइबर क्राइम सेल के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। बरामदकर्ता पुलिस टीम में मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया, आरक्षी अनूप कुमार यादव, आरक्षी प्रभात कुमार कुशवाहा, महिला आरक्षी वन्दना पाण्डेय रही।

दो शातिर ठग गिरफ्तार, कब्जे से ठगी कर चुरायी गयी अंगूठी बरामद–

दिनांक 01.03.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, ठगी कर अंगूठी चोरी के आरोप में वीरेन्द्र पुत्र रामसकल, राजू पुत्र मैनेजर निवासीगण भरतपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर कब्जे से ठगी कर चुरायी गयी एक अदद अंगुठी बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/23 धारा 420,379,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.03.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा हरिकृष्णा निवासी मुंगमास, दिनेश यादव, मीता यादव, उमेश यादव, सरना यादव, संजू यादव, अराधना यादव निवासीगण सहरोज थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विकाश उर्फ विक्की निवासी ब्राहम्णटोला, आरती निवासी ह्ठी मदारी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अरूण कुमार, चन्द्रमा निवासीगण

सिवराजपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा भरत सिंह, रामश्रे सिंह निवासीगण सोनौरा, रितिक राजभर, रविन्द्र राजभर निवासी नसोपुर, शिवबहादुर राजभर, सौरभ राजभर निवासीगण भदीड़ थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त आशिफ पुत्र इकराम निवासी प्यारेपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 02.03.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा, पुलिस लाइन मऊ में नियुक्त मु0आ0 पंकज यादव (वर्ष–1998 बैच) को आरक्षी के न्यूनतम वेतन (रिक्रूटी पे) पर 03 वर्ष के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 05. 07.2022 को उक्त मु0आ0 पंकज यादव का सेशन हवालात ड्यूटि के दौरान नशीला पदार्थ को सेवन कर लड़खडाते हुवे वीडियो वायरल हुआ था। जिसपर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय जांच की जा रही थी, उक्त विभागीय जांच में मु0आ0 पंकज यादव को दोषी पाये जाने पर उपरोक्त कार्यवाही की गयी है।